प्रेस नोट–115/2026
दिनांक 25.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद पीलीभीत/थाना करेली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 लूटी गयी कुण्डल (पीली धातु)**
- **15 हजार 200 रूपये नगद**
- **लूट की घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 25.02.2026 को थाना करेली, थाना बिलसंडा व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लदपुरा गांव की ओर जाने वाली सड़क पर भदेगकंजा तिराहा से 03 अभियुक्तों 1–रामू उर्फ रामचन्द्र 2–श्याम उर्फ श्यामू 3–कय्यूम उर्फ झब्बू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 लूटी गयी कुण्डल (पीली धातु), 15 हजार 200 रूपये नगद, लूट की घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल, 03 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना करेली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना करेली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त रामू उर्फ रामचन्द्र के विरूद्ध जनपद बरेली, पीलीभीत के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त श्यामू उर्फ श्याम के विरूद्ध जनपद बरेली, पीलीभीत के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 19 अभियोग, अभियुक्त कय्यूम उर्फ झब्बू के विरूद्ध जनपद बरेली, पीलीभीत के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना करेली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामू उर्फ रामचन्द्र निवासी पिपरिया संजरपुर थाना दियोरिया कलां जनपद पीलीभीत।

2–श्याम उर्फ श्यामू निवासी पिपरिया संजरपुर थाना दियोरिया कलां जनपद पीलीभीत।

3–कय्यूम उर्फ झब्बू निवासी ग्राम प्रहलादपुर थाना क्योलड़िया जनपद बरेली हालपता–कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1–07 लूटी गयी कुण्डल (पीली धातु) ।

2–15 हजार 200 रूपये नगद।

3–लूट की घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल।

4–03 मोबाइल फोन।

जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 08 लाख रूपये कीमत की चोरी के 195 किलोग्राम कॉपर कॉइल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 24.02.2026 को थाना गुलावठी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–सुभाष 2–हसीन 3–अमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 08 लाख रूपये कीमत की चोरी के 195 किलोग्राम कॉपर कॉइल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.02.2026 को थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कॉपर कॉइल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित

है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुभाष के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग, अभियुक्त हसीन के विरूद्ध जनपद शामली, बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त अमन के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुभाष निवासी ग्राम असावर भट्टा थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

2—हसीन निवासी मो0रामपुरी थाना दौराला जनपद मेरठ।

3—अमन निवासी नई बस्ती थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—लगभग 08 लाख रूपये कीमत की चोरी के 195 किलोग्राम कॉपर कॉइल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

जनपद चन्दौली/थाना कोतवाली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 38 लाख रूपये कीमत के 425 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 25.02.2026 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मझवार रेलवे स्टेशन के सामने नेशनल हाइवे से 02 अभियुक्तों 1—मुबारक खां 2—चुन्ना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 38 लाख रूपये कीमत के 425 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुबारक खां निवासी सिलावटी थाना धौज जनपद कादिरावाद हरियाणा।

2—चुन्ना निवासी सिलावटी थाना धौज जनपद कादिरावाद हरियाणा।

बरामदगी

1—लगभग 38 लाख रूपये कीमत के 425 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—01 ट्रक।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चन्द्र प्रकाश को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना सुल्तानपुर घोष (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना सुल्तानपुर घोष पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संतोष को सश्रम आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना राठ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना राठ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट

के अन्तर्गत अभियुक्त शिव बालक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ अन्ना को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————